

**कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक**  
**संत बाबा गुरु घासी दास जी स्मृति, शासकीय चिकित्सालय रायगढ़, (छ.ग.)**

Email : -gmcralgarrhospital@gmail.com, Tell - 07762-222979

क्रमांक/चिकि./स्था./2025/ 7709

रायगढ़, दिनांक- 19.11.2025

प्रति,

आयुक्त  
 संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग  
 स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, द्वितीय तल, सेक्टर-19  
 नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

द्वारा :- उचित माध्यम।

विषय :- संविदा/दैनिक वेतन भोगी में कार्यरत कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कटौती करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. File No. :ESTB/11440/202-DME दिनांक 14.11.2025 (प्राप्ति दिनांक 18.11.2025)।

—:0:—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा संस्था में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में निर्धारित प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

**प्रपत्र-अ**

| क्र. | दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | पदनाम (पद पर कार्यरत)        | मासिक वित्तीय भार | वार्षिक वित्तीय भार | ई.पी.एफ. कटौती की जा रही है अथवा नहीं ? | यदि ई.पी.एफ. कटौती नहीं की जा रही है तो उसका कारण स्पष्ट करें।                                                                                       | रिमार्क |
|------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | 2                                    | 3                            | 4                 | 5                   | 6                                       | 7                                                                                                                                                    | 8       |
| 1    | 70                                   | स्टॉफ नर्स                   | 918820            | 11025840            | नहीं                                    | कार्यालय अधिष्ठाता शा.चि.म. रायगढ़ के पत्र क्रमांक चिकि./लेखा FINACC-3602/1787/2025 रायगढ़ दिनांक 07.10.2025 द्वारा मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित है। |         |
| 2    | 3                                    | इलेक्ट्रीशियन                | 37038             | 444456              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 5    | 8                                    | डाटा एंट्री ऑपरेटर           | 98768             | 1185216             | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 6    | 1                                    | डायलिसिस टेक्नीशियन          | 12346             | 148152              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 7    | 1                                    | डायलिसिस सहायक               | 12346             | 148152              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 8    | 4                                    | मैनीफोल्ड आक्सीजन टेक्नीशियन | 49384             | 592608              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 9    | 8                                    | कम्प्यूटर ऑपरेटर             | 98768             | 1185216             | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 11   | 3                                    | वाहन चालक                    | 37038             | 444456              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 12   | 1                                    | टेलर                         | 12346             | 148152              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 13   | 15                                   | वार्ड आया                    | 163740            | 1964880             | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 14   | 16                                   | वार्ड ब्वाय                  | 174656            | 2095872             | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 15   | 1                                    | स्वीपर                       | 10916             | 130992              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 16   | 4                                    | धोबी                         | 43644             | 523968              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 17   | 1                                    | धोबी सहायक                   | 10916             | 130992              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 18   | 1                                    | एक्स-रे टेक्नीशियन           | 12346             | 148152              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| 19   | 4                                    | पंप अटेंडेंट                 | 49384             | 592608              | नहीं                                    |                                                                                                                                                      |         |
| योग  | 141                                  |                              | 1742480           | 20909717            |                                         |                                                                                                                                                      |         |

उपरोक्त कर्मचारियों का मानदेय भुगतान स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ के स्वशासी समिति "छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति रायगढ़" से किया जा रहा है।

छ.ग.आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति रायगढ़ के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 के एजेण्डा क्र. 2 एवं 3 में पारित है कि "इन दैनिक मजदूरों को मास्टर रोल आधार पर कार्य लिये जाने से EPF/ESIC की राशि की पात्रता नहीं होगी।"

**प्रपत्र-अ**

| क्र. | दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | पदनाम (पद पर कार्यरत) | मासिक वित्तीय भार | वार्षिक वित्तीय भार | ई.पी.एफ. कटौती की जा रही है अथवा नहीं ? | यदि ई.पी.एफ. कटौती नहीं की जा रही है तो उसका कारण स्पष्ट करें।                                                                                      | रिमार्क |
|------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | 2                                    | 3                     | 4                 | 5                   | 6                                       | 7                                                                                                                                                   | 8       |
| 1    | 2                                    | इलेक्ट्रीशियन         | 24692             | 296304              | नहीं                                    | कार्यालय अधिष्ठाता शा.चि.म. रायगढ़ के पत्र क्रमांक चिकि/लेखा FINACC-3602/1787/2025 रायगढ़ दिनांक 07.10.2025 द्वारा मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित है। |         |
| 2    | 5                                    | रेडियोग्राफर          | 61730             | 740760              | नहीं                                    |                                                                                                                                                     |         |
| 3    | 2                                    | स्वीपर                | 21832             | 261984              | नहीं                                    |                                                                                                                                                     |         |
| योग  | 09                                   |                       | 108258            | 1299053             |                                         |                                                                                                                                                     |         |

उक्त कर्मचारियों का मानदेय भुगतान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) के नियमित बजट से किया जा रहा है।

**प्रपत्र-ब**

| क्र.        | संविदा कर्मचारियों की संख्या | पदनाम (पद पर कार्यरत) | मासिक वित्तीय भार | वार्षिक वित्तीय भार | ई.पी.एफ. कटौती की जा रही है अथवा नहीं ? | यदि ई.पी.एफ. कटौती नहीं की जा रही है तो उसका कारण स्पष्ट करें। | रिमार्क |
|-------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1           | 2                            | 3                     | 4                 | 5                   | 6                                       | 7                                                              | 8       |
| ---निरंक--- |                              |                       |                   |                     |                                         |                                                                |         |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
 संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति  
 शा.चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.)  
 रायगढ़, दिनांक 19.11.2025

पृ0क्रमांक/चिकि/स्था./2025/7710

प्रतिलिपी :-

- अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
- कार्यालयीन प्रति।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
 संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति  
 शा.चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.)



**कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा**  
**नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर**

File No.:ESTB/11440/2025-DME

दिनांक-14-11-2025

प्रति,

- 1/समस्त अधिष्ठाता,  
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छ.ग.  
 2/समस्त संयुक्त संचालक सह अधीक्षक,  
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, छ.ग.

विषय- संविदा/दैनिक वेतन भोगी में कार्यरत कर्मचारियों का ई.पी.एफ कटौती करने के संबंध में उचित दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन देने बाबत।  
 संदर्भ- छ.ग.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय का File No. FINACC-36/519/2025-MED, दिनांक- 09.06.2025।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है। शासन द्वारा चाही गई जानकारी निम्न प्रारूप अनुसार उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध है -

प्रपत्र- अ

| क्र | दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या | पदनाम (पद पर कार्यरत) | मासिक वित्तीय भार | वार्षिक वित्तीय भार | ई.पी.एफ कटौती की जा रही है अथवा नहीं ? | यदि ई.पी.एफ कटौती नहीं की जा रही है तो उसका कारण स्पष्ट करें। | रिमार्क |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 2                                     | 3                     | 4                 | 5                   | 6                                      | 7                                                             | 8       |
|     |                                       |                       |                   |                     |                                        |                                                               |         |

प्रपत्र- ब

| क्र | संविदा कर्मचारियों की संख्या | पदनाम (पद पर कार्यरत) | मासिक वित्तीय भार | वार्षिक वित्तीय भार | ई.पी.एफ कटौती की जा रही है अथवा नहीं ? | यदि ई.पी.एफ कटौती नहीं की जा रही है तो उसका कारण स्पष्ट करें। | रिमार्क |
|-----|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 2                            | 3                     | 4                 | 5                   | 6                                      | 7                                                             | 8       |
|     |                              |                       |                   |                     |                                        |                                                               |         |

यदि ई.पी.कटौती की जा रही है तो इस संबंध में नियम/निर्देश/प्रावधान की प्रति संलग्न करें।  
 संलग्न – उपरोक्तानुसार।  
 (आयुक्त महोदया द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by  
 Prateek Pradhan  
 Date: 14-11-2025  
 14:55:38  
 उपसंचालक  
 चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
ःः मंत्रालयःः

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर-492002

File No.: FINACC-36/519/2025-MED

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 09.06.2025

प्रति,

आयुक्त,  
चिकित्सा शिक्षा,  
सेक्टर 19, स्वास्थ्य भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- संविदा/दैनिक वेतन भोगी मंे कार्यरत कर्मचारियों का ई.पी.एफ कटौती करने के संबंध में उचित दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3929/स्था-2/संचिशि/2025, दिनांक 28.4.2025

-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1. संचालनालय के अधिनस्थ संस्थाओं में ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में पूर्व में क्या व्यवस्था है।
2. संस्था मंे कार्यरत संस्था एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ई.पी.एफ. कटौती किया जाना है का एकजाई प्रस्ताव/जानकारी वित्तीय भार सहित है तथा व्यय की जानकारी वर्षवार/मदवार स्पष्ट अभिमत/नियम-निर्देश सहित प्रस्ताव उपलब्ध करावें।

Digitally signed by

SONCHAND SAHU

Date: 09-06-2025

16:38:05

( सोनचंद साहू )

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

Commissioner Medical Education, CG

Add. D(PG)/DD(TR)/DD(PP)/DDF(MG)/  
AD(UP)/AD(KT)/Nod(PB)/Nod(DD)/  
Nod(A3)/Nod(VBV)/AO(BS)/AO(SP)/  
Sup.(MY)/Other .....  
Signature .....  
Date ..... 1563, 04 SEP 2025



## कार्यालय, अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)  
एकताल रोड, बेन्द्राचुआ, रायगढ़ (छत्तीसगढ़),

PH-07762-220750, Web : gmcraigarh.edu.in, E-mail: accounts-gmcraigarh@cg.gov.in



क्रमांक / चिकि.महा. / लेखा / **FINACC/5382/2025**  
प्रति,

रायगढ़ दिनांक **31.10.2025**

आयुक्त  
चिकित्सा शिक्षा  
स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक  
सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषय:- स्वशासी समिति अंतर्गत कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी के **EPF** व **ESIC** के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय के पत्र क्रमांक / चिकि.महा. / लेखा / 2025 / 8819 रायगढ़ दिनांक 19.09.2025।

2. कार्यालय के पत्र क्रमांक / चिकि.महा. / लेखा / **FINACC-3602/1787/2025** रायगढ़, दिनांक 07.10.2025।

—00—

स्व श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ अंतर्गत छ.ग. आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति (स्वशासी समिति) संचालित है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध शासकीय चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी (स्टाफ नर्स/रेडियोग्राफर /ऑक्सीजन मैनीफोड टेक्निशियन/कम्प्युटर आपरेटर/वाहन चालक/ इलेक्ट्रिशियन /दर्जी/वार्ड बॉय एवं वार्ड आया/धोबी/स्वीपर इत्यादि ) को कार्यालय कलेक्टर, जिला – रायगढ़ के पत्र क्रमांक 2648/वित्त लेखा/2025/रायगढ़, दिनांक 11.04.2025 के आधार पर उच्च कुशल, कुशल व अकुशल श्रेणी अनुसार स्वशासी समिति द्वारा प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। कार्यकुशलता के आधार पर नियोजित कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी की संख्या एवं होने वाले व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

| स. क्र. | विवरण            | संख्या | वर्तमान कलेक्टर दर | EPF 12% | EDLI 0.5 % | EPF Admin charge 0.5 % | ESIC 3.25% | मासिक कलेक्टर दर +ESIC+EPF +EDLI+EPF Admin Charge | कुल संख्या अनुसार मासिक लागत | वार्षिक लागत | EPF & ESIC के पंजीयन कराने पर अतिरिक्त राशि का भार(वार्षिक लागत में शामिल) |
|---------|------------------|--------|--------------------|---------|------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                | 3      | 4                  | 5       | 6          | 7                      | 8          | 9<br>(4+5+6+7+8)                                  | 10                           | 11           | 12                                                                         |
| 01      | उच्च कुशल श्रेणी | 71     | 13,126             | 1,575   | 66         | 66                     | 427        | 15,259                                            | 10,83,387.23                 | 1,30,00,647  | 18,17,295                                                                  |
| 02      | कुशल श्रेणी      | 49     | 12,346             | 1,482   | 62         | 62                     | 401        | 14,352                                            | 7,03,259                     | 84,39,108    | 11,79,660                                                                  |
| 03      | अकुशल श्रेणी     | 38     | 10,916             | 1,310   | 55         | 55                     | 355        | 12,690                                            | 4,82,214                     | 57,86,572    | 8,08,876                                                                   |
|         | योग              | 158    | 36,388             | 4,367   | 182        | 182                    | 1,183      | 42,301                                            | 22,68,861                    | 2,72,26,327  | 38,05,831                                                                  |

छ.ग. आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति रायगढ़ के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 के एजेण्डा क्रमांक 02 एवं 03 में पारित है कि “ इन दैनिक मजदूरों को मास्टर रोल आधार पर कार्य लिये जाने से **EPE/ESIC** की राशि की पात्रता नहीं होगी।”

अतः लेख है कि स्वशासी समिति द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध शासकीय चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु वर्तमान में कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारीयों हेतु **EPF** व **ESIC** हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा अथवा नहीं के संबंध में मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

Digitally signed by

Dr Vinit Kumar Jain

Date: 31-10-2025

17:42:11

अधिष्ठाता

स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति  
चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)



**कार्यालय, अधिष्ठाता**  
**स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)**  
**एकताल रोड, बेन्द्रचुआ, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**

PH-07762-220750, Web : gmcragarh.edu.in, E-mail: accounts-gmcragarh@cg.gov.in

क्रमांक/चिकि.महा./लेखा/ **FINACC-3602/1787/2025**  
प्रति,

रायगढ़ दिनांक **07.10.2025**

आयुक्त  
चिकित्सा शिक्षा  
स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक  
सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषय:- स्वशासी समिति अंतर्गत कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी के **EPF** व **ESIC** के संबंध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय के पत्र क्रमांक/चिकि.महा./लेखा/2025/8819 रायगढ़ दिनांक 19.09.2025।

—00—

स्व श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ अंतर्गत छ.ग. आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति (स्वशासी समिति) संचालित है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध शासकीय चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी (स्टाफ नर्स/रेडियोग्राफर /ऑक्सीजन मैनीफोड टेक्निशियन/कम्प्युटर आपरेटर/वाहन चालक/ इलेक्ट्रिशियन /दर्जी/वार्ड बॉय एवं वार्ड आया/धोबी/स्वीपर इत्यादि ) को कार्यालय कलेक्टर, जिला – रायगढ़ के पत्र क्रमांक 2648 /वित्त लेखा/2025/रायगढ़, दिनांक 11.04.2025 के आधार पर उच्च कुशल, कुशल व अकुशल श्रेणी अनुसार स्वशासी समिति द्वारा प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। कार्यकुशलता के आधार पर नियोजित कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी की संख्या एवं होने वाले व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

| स. क्र. | विवरण            | संख्या     | वर्तमान कलेक्टर दर | EPF 12%      | EDLI 0.5 % | EPF Admin charge 0.5 % | ESIC 3.25 %  | मासिक कलेक्टर दर +ESIC+EPF +EDLI+EPF Admin Charge | कुल संख्या अनुसार मासिक लागत | वार्षिक लागत       | EPF & ESIC के पंजीयन कराने पर अतिरिक्त राशि का मासिक/वार्षिक लागत में शामिल) |
|---------|------------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                | 3          | 4                  | 5            | 6          | 7                      | 8            | 9<br>(4+5+6+7+8)                                  | 10                           | 11                 | 12                                                                           |
| 01      | उच्च कुशल श्रेणी | 71         | 13,126             | 1,575        | 66         | 66                     | 427          | 15,259                                            | 10,83,387.23                 | 1,30,00,647        | 18,17,295                                                                    |
| 02      | कुशल श्रेणी      | 49         | 12,346             | 1,482        | 62         | 62                     | 401          | 14,352                                            | 7,03,259                     | 84,39,108          | 11,79,660                                                                    |
| 03      | अकुशल श्रेणी     | 38         | 10,916             | 1,310        | 55         | 55                     | 355          | 12,690                                            | 4,82,214                     | 57,86,572          | 8,08,876                                                                     |
|         | <b>योग</b>       | <b>158</b> | <b>36,388</b>      | <b>4,367</b> | <b>182</b> | <b>182</b>             | <b>1,183</b> | <b>42,301</b>                                     | <b>22,68,861</b>             | <b>2,72,26,327</b> | <b>38,05,831</b>                                                             |

छ.ग. आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति रायगढ़ के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 के एजेण्डा क्रमांक 02 एवं 03 में पारित है कि “ इन दैनिक मजदूरों को मास्टर रोल आधार पर कार्य लिये जाने से EPE/ESIC की राशि की पात्रता नहीं होगी।”

अतः लेख है कि स्वशासी समिति द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध शासकीय चिकित्सालय के सुचारु संचालन हेतु वर्तमान में कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु **EPF** व **ESIC** हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा अथवा नहीं के संबंध में मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

Digitally signed by  
Dr Vinit Kumar Jain  
Date: 07-10-2025  
13:33:57

**अधिष्ठाता**

स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति  
चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय, छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान स्वशासी समिति/  
अधिष्ठाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,  
रायगढ़ (छ.ग.)  
//नोटशीट//

अधिष्ठाता-डॉ० विनित कुमार जैन  
शाखा- स्वशासी समिति

क्रमांक- 604  
दिनांक 12/01/2025

विषय:- दिनांक 16.01.2025 को आयोजित स्वशासी समिति के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में अनुमोदन के संबंध में।

प्रस्तुत,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ०ग०) के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 को सायं दोपहर 01.00 बजे संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति, छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा Video Conference" के माध्यम से की गई अध्यक्षता में "कॉलेज काउंसिल हॉल" में आयोजित की गई।

उक्त बैठक में संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति, कलेक्टर, जिला- रायगढ़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक निर्माण एवं CGMSC के अधिकारी Bharat VC के माध्यम से बैठक में शामिल हुये तथा प्रबंधकारिणी समिति के शेष अन्य सदस्य चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ के कॉलेज काउंसिल हॉल में उपस्थित रहे।

दिनांक 16.01.2025 को आयोजित प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में पूर्व निर्धारित एजेण्डा पर चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरांत लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही विवरण तैयार किया गया है।

अतः मान्य होने की स्थिति में कार्यवाही विवरण की स्वच्छ प्रति अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

सचिव, 12/01/25

छ०ग० आरोग्य, चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति  
एवं अधिष्ठाता स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति  
शा. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़(छ०ग०)

अनुमोदनार्थ, सादर प्रस्तुत।

संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग एवं  
अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी स्वशासी समिति  
चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ०ग०)

Dean

12/01/2025  
आयुक्त  
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

कार्यालय अधिष्ठाता  
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़  
छत्तीसगढ़



**छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति /  
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)**

Bendrachuwa, Raigarh, Chhattisgarh, ph-07762-220742  
e-mail: gmeraigarh.2013@gmail.com, Fax No. -07762-220741

क्रमांक / शा.चि.म. / स्था. / स्वशासी / 2025 / 656

रायगढ़, दिनांक 17/01/2025

**// प्रबंधकारिणी समिति बैठक, कार्यवाही विवरण //**

संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति, छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) की अध्यक्षता में "प्रबंधकारिणी समिति" की आवश्यक बैठक दिनांक 16 जनवरी 2025 (गुरुवार) को दोपहर 01.00 बजे से चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ के "कॉलेज काउंसिल हॉल" में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता, संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा "Video Conference" के माध्यम से किया गया तथा उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/सदस्यगण की उपस्थिति रही :-

- |                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. श्री एम. कांवरे, संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग<br>(Bharat VC के माध्यम से बैठक में शामिल)                                     | — अध्यक्ष        |
| 2. श्री कार्तिकेय गोयल, कलेक्टर, जिला रायगढ़<br>(Bharat VC के माध्यम से बैठक में शामिल)                                        | — सदस्य          |
| 3. डॉ० विनित कुमार जैन,<br>अधिष्ठाता, शा० चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़                                                         | — सचिव/मु.का.अ.  |
| 4. डॉ० मनोज कुमार मिंज,<br>संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय, रायगढ़                                               | — सदस्य          |
| 5. डॉ. वी. के. चन्द्रवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़— सदस्य<br>(Bharat VC के माध्यम से बैठक में शामिल) |                  |
| 6. डॉ. दिनेश कुमार पटेल<br>सिविल सर्जन, किरोड़ीमल जिला अस्पताल, रायगढ़                                                         | — आमंत्रित सदस्य |
| 7. श्री मुकेश कुमार, S.D.O. लोक निर्माण विभाग (वि./यौ.)<br>(Bharat VC के माध्यम से बैठक में शामिल)                             | — आमंत्रित सदस्य |
| 8. श्री अमित कुमार शर्मा, सब इंजीनियर, CGMSC<br>(Bharat VC के माध्यम से बैठक में शामिल)                                        | — आमंत्रित सदस्य |
| 9. श्री राजेन्द्र प्रसाद, S.D.O. CGMSC<br>(Bharat VC के माध्यम से बैठक में शामिल)                                              | — आमंत्रित सदस्य |
| 10. श्री राजपाल जाटवर, सब इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग(वि./यौ.)                                                                 | — आमंत्रित सदस्य |
| 11. श्री विनोद कुमार बोहिदार, प्रशासकीय अधिकारी                                                                                | — आमंत्रित सदस्य |

निरंतर.....2/



## // कार्यवाही विवरण //

संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति, छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग) की अध्यक्षता में प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 (गुरुवार) को दोपहर 01.00 बजे से चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ के काउंसिल हॉल में आयोजित की गई। उक्त बैठक में, निर्धारित एजेण्डा अनुसार चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरांत प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

**एजेण्डा-01 :- प्रबंधकारिणी समिति की पिछली बैठक दिनांक 27.12.2024 में पारित निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा एवं अनुमोदन :-**

- प्रबंधकारिणी समिति की दिनांक 27.12.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार लिये गये निर्णयों के मुख्य बिन्दुओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा किया गया जो निम्नानुसार है :-

| क्र. | एजेण्डा                                                                                                                                                                                                  | कार्यवाही विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पालन प्रतिवेदन                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | आकस्मिक व्यय हेतु विभागाध्यक्षों को प्रतिमाह रु. 5000/- (Imprest Money) प्रदाय किये जाने के संबंध में।                                                                                                   | मरीज हित में तत्काल आवश्यकता संबंधी दवाईयों, केमिकल्स, किट्स, ग्लासवेयर एवं अन्य आवश्यक छोटी-छोटी कन्जुमेबल सामग्रियों के तत्काल क्रय कर उपयोग किये जाने हेतु सभी क्लिनिकल विभागाध्यक्षों को अग्रिम राशि रु. 5000/- प्रदाय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्लिनिकल विभागों के विभागाध्यक्षों के मांगपत्र अनुसार आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम राशि रु. 5000/- दिया जा रहा है।           |
| 2    | प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी मॉडल स्वशासी सोसायटी के नियमावली को स्वीकार कर पंजीयन किये जाने की जानकारी।                                                                                                  | संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ संस्थाओं के स्वशासी समिति में एकरूपता लाने हेतु छ0ग0 शासन द्वारा अनुमोदित मॉडल स्वशासी सोसायटी प्रारूप को प्रबंधकारिणी एवं साधारण सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है एवं मॉडल नियमावली का "फर्म एवं सोसायटी" में ऑनलाईन पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की जानकारी दिया गया जिस पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।                                                                                                                                                                                  | "फर्म एवं सोसायटी" के पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।             |
| 3    | संबद्ध चिकित्सालय में स्वशासी मद से 09 रेडियोग्राफर कर्मचारी रखे जाने के संबंध में चर्चा                                                                                                                 | चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में रेडियोग्राफर के केवल 03 ही पद सृजित है जिसके विरुद्ध 02 ही रेडियोग्राफर कार्यरत है जिससे रेडियोलॉजी विभाग के साथ-साथ कैजुअल्टी विभाग में 24x7 घंटे एक्स-रे, सीटी स्कैन एवं सोनोग्राफी जॉब प्रभावित हो रही है जिससे 09 रेडियोग्राफर कर्मचारी स्वशासी मद से कलेक्टर दर पर रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                         | रेडियोलॉजी जॉब संख्या के अनुसार चरणबद्ध तरीके से रेडियोग्राफर कर्मचारी कलेक्टर दर पर रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है। |
| 4    | आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत किरोड़ीमल शास. जिला चिकित्सालय में संबद्ध चिकित्सालय के हिस्से की जमा राशि को संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति चिकित्सालय, रायगढ़ को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में चर्चा। | तत्कालीन समय में चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ के अधीन संचालित किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन के खाते में आयुष्मान योजना की जमा राशि रु. 2,64,62,071/- में से रु. 1,52,98,408/- संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शा. चिकित्सालय को दिये जाने हेतु कलेक्टर जिला रायगढ़ की उपस्थिति में सहमति बनी थी।<br>उक्त सहमति अनुसार सिविल सर्जन द्वारा रु. 61,19,363/- का ही हस्तांतरण किया गया है शेष राशि रु. 91,79,047/- का हस्तांतरण नहीं किया गया है। इस संबंध में संभागायुक्त एवं अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा कलेक्टर जिला रायगढ़ से चर्चा उपरांत निराकरण किये जाने का निर्देश दिया गया है। | कलेक्टर जिला रायगढ़ से चर्चा कर कार्यवाही की जा रही है।                                                                  |

निरंतर.....3/



| क्र. | एजेण्डा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कार्यवाही विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पालन प्रतिवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.   | अन्य विषयों पर चर्चा:-<br>1. निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल में फर्नीचर, ए0सी0, गीजर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों लगाये जाने के संबंध में।                                                                                                                                                                                       | चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ में आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों तथा सेमीनार/प्रशिक्षण हेतु बाहर से आने वाले चिकित्सकों के ठहरने हेतु निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल में फर्नीचर, ए0सी0, गीजर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों लगाये जाने हेतु प्रबंधकारिणी समिति द्वारा रु. 6.00 लाख का अनुमोदन दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                       | उक्त संबंध में कार्यवाही, प्रक्रियाधीन है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 2. अन्य विषयों पर चर्चा:-<br>ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 पंजीयन शुल्क को निःशुल्क किये जाने के संबंध में।                                                                                                                                                                                                                            | चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शा0 चिकित्सालय में पूर्व से सभी जॉच एवं उपचार तथा विजीटर पास, वाहन पार्किंग निःशुल्क है। इसी प्रकार पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में भी सभी जॉच एवं उपचार के साथ ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 पंजीयन निःशुल्क है।<br>अतएव पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के अनुरूप ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 पंजीयन शुल्क को भी निःशुल्क किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में संभागायुक्त एवं अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा समिति बनाये जाने का निर्देश दिया गया था। | 1. ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 पंजीयन शुल्क के संबंध में 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को दिनांक 16.01.2025 की बैठक में प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 पंजीयन शुल्क को निःशुल्क किये जाने संबंधी सुझाव दिया गया है।<br>2. 03 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का दिनांक 16.01.2025 की बैठक में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अवलोकन किया गया है एवं ओ0पी0डी0 शुल्क रु. 10/- को यथावत लिये जाने तथा आई0पी0डी0 शुल्क को आयुष्मान भारत योजना द्वारा ब्लाक किये एवं ऐसे मरीज जो आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनसे पूर्वानुसार आई0पी0डी0 शुल्क रु. 85/- (25+20+20+20) लिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। |
|      | 3. चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में स्थित विद्युत सबस्टेशन के रखरखाव के संबंध में।                                                                                                                                                                                                                                            | चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में स्थित एचटी, एलटी ट्रांसफार्मर एवं डीजी सेट के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव लोक निर्माण विभाग (वि/यो) विभाग द्वारा किये जाने का निर्देश दिया गया तथा इसे लोक निर्माण विभाग के बजट पुस्तिका में शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                        | दिनांक 16.01.2025 की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग (वि/यो) के अधिकारियों द्वारा उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियारत होने की जानकारी दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 4. चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन, पीएम-अभीम योजनांतर्गत 50 बिस्तर CCBH एवं कोविड-19 के तृतीय लहर हेतु 35 बिस्तर आईसीयू के एकीकृत निर्माण कार्य के पूर्ण होने की जानकारी चाही गई जिस संबंध में CGMSC के अधिकारियों द्वारा मई-जून 2025 तक पूर्ण होने एवं निर्माणाधीन ETP/STP का एक माह में पूर्ण होने की जानकारी दिया गया। | चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन, पीएम-अभीम योजनांतर्गत 50 बिस्तर CCBH एवं कोविड-19 के तृतीय लहर हेतु 35 बिस्तर आईसीयू के एकीकृत निर्माण कार्य के पूर्ण होने की जानकारी चाही गई जिस संबंध में CGMSC के अधिकारियों द्वारा मई-जून 2025 तक पूर्ण होने एवं निर्माणाधीन ETP/STP का एक माह में पूर्ण होने की जानकारी दिया गया।                                                                                                                                                                                                                                              | 1. दिनांक 16.01.2025 की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में CGMSC के अधिकारियों द्वारा 50 बिस्तर CCBH एवं 35 बिस्तर ICU के एकीकृत निर्माण में 10-12 माह और समय लगने की संभावना व्यक्त किया गया।<br>2. उक्त संबंध में संभागायुक्त महोदय द्वारा CGMSC के अधिकारियों को कलेक्टर, जिला रायगढ़ के मार्गदर्शन में, निर्माण कार्य में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

उपरोक्तानुसार प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 27.12.2024 के कार्यवाही विवरण अनुसार पालन प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत प्रबंधकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

निरंतर.....4 /

& 



**एजेण्डा-02 :-स्वशासी मद से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दैनिक वेतन का भुगतान नियमित बजट से किये जाने के संबंध में चर्चा।**

- अधिष्ठाता, शा. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि स्वशासी समिति के "प्रबंधकारिणी समिति" एवं "साधारण सभा" की पूर्व बैठकों में प्राप्त अनुमोदन अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास0 चिकित्सालय, रायगढ़ में अस्थाई व्यवस्था के रूप में उच्चकुशल/कुशल/अकुशल दैनिक कर्मचारी, कलेक्टर दर पर रखकर कार्य लिया जा रहा है तथा इनके दैनिक मजदूरी का भुगतान, तत्कालीन समय में नियमित बजट में राशि उपलब्ध नही होने के कारण स्वशासी मद से किया जा रहा है। वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय में "अन्य आकस्मिक/मजदूरी मद" में पर्याप्त राशि उपलब्ध हैं, अतएव उक्त कर्मचारियों के दैनिक मजदूरी का भुगतान स्वशासी मद से न करते हुये नियमित बजट अंतर्गत "अन्य आकस्मिक/मजदूरी मद" से किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में स्वशासी मद से कार्यरत दैनिक कर्मचारियों की सूची :-

| क्र | पदनाम                     | कार्यरत संख्या | भुगतान किये जा रहे मानदेय (प्रति व्यक्ति/ प्रतिमाह) | प्रतिमाह व्यय |
|-----|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1   | डायलिसिस टेक्नीशियन       | 01             | 12,898/- +<br>2,740/-(Topup Amount)                 | 15,638/-      |
| 2   | सहायक डायलिसिस टेक्नीशियन | 01             | 10,660/-                                            | 10,660/-      |
| 3   | कम्प्यूटर ऑपरेटर          | 09             | 12,118/-                                            | 1,09,062/-    |
| 4   | धोबी                      | 3              | 10,688/-                                            | 32064/-       |
| 5   | वाहन चालक                 | 5              | 12,118/-                                            | 60,590/-      |
| 6   | इलेक्ट्रिशियन             | 4              | 12,118/-                                            | 48,472/-      |
| 7   | मेनीफोल्ड टेक्नीशियन      | 5              | 12,118/-                                            | 60,590/-      |
| 8   | एक्स रे टेक्नीशियन        | 01             | 12,898/-                                            | 12,898/-      |
| 9   | स्वीपर                    | 03             | 10,688                                              | 32064/-       |
| 10  | टेलर                      | 01             | 12,118/-                                            | 12,118/-      |
| 11  | स्टाफ नर्स                | 47             | 12,898/-                                            | 606206/-      |
| 12  | वार्ड ब्याय/आया           | 30             | 10,688                                              | 320640/-      |
| 13  | पंप अटेंडेंट              | 08             | 12,118/-                                            | 96944/-       |
|     | योग                       | 118            |                                                     | 1429284/-     |

**अक्षरी:-चौदह लाख उनतीस हजार दो सौ चौरासी रुपये मात्र**

- उक्त दैनिक मजदूरों के दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमित बजट अंतर्गत "अन्य आकस्मिक/मजदूरी मद" से स्वशासी मद में समायोजन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त पदों पर जब तक सीधी भर्ती नही हो जाता अथवा इनके संबंध में कोई आगामी निर्देश जारी नही हो जाता तब तक ही मस्टररोल आधार पर कार्य लिया जा सकेगा तथा इन दैनिक मजदूरों को मस्टररोल आधार पर कार्य लिये जाने से EPF/ESIC की राशि की पात्रता नही होगी।
- तत्कालिन समय में डायलिसिस टेक्नीशियन उपलब्ध नही होने के कारण कलेक्टर दर से अधिक दैनिक मजदूरी निर्धारित कर तत्कालिक व्यवस्था के रूप में डायलिसिस टेक्नीशियन रख कर अस्थाई रूप से कार्य लिया जा रहा है। उक्त डायलिसिस टेक्नीशियन के कलेक्टर दर से अधिक निर्धारित मजदूरी मे से कलेक्टर दर के बराबर दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमित बजट से किये जाने का निर्णय लिया गया तथा निर्धारित कलेक्टर दर के अतिरिक्त राशि को Top-up राशि मानकर Top-up की राशि को स्वशासी मद से भुगतान किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया

(कार्यवाही, अधिष्ठाता कार्यालय/  
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय स्तर से)

निरंतर.....5/



**एजेण्डा-03 :- चिकित्सालय संचालन हेतु अस्थायी रूप से कलेक्टर दर पर स्टाफ नर्स रखे जाने के संबंध में चर्चा।**

- अधिष्ठाता, शा.चि.म. रायगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास0 चिकित्सालय, रायगढ़ में 650 बिस्तर की क्षमता है जिसे 750 बिस्तरों तक बढ़ाया जा रहा है, किन्तु चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स की कमी के कारण वर्तमान में 350 बिस्तरों का ही संचालन किया जा रहा है तथा मानव संसाधन की कमी के कारण बर्न यूनिट भी प्रारंभ नहीं किया जा सका है। वर्तमान में स्टाफ नर्स के 176 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध नियमित-105 तथा कलेक्टर दर पर-50, कुल 155 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं तथा 21 पद रिक्त हैं। व्यापम के माध्यम से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अतएव जब तक स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती नहीं हो जाती तब तक के लिये अस्थायी व्यवस्था के रूप में कलेक्टर दर अनुसार दैनिक मजदूरी पर स्टाफ नर्स रख कर बर्न यूनिट प्रारंभ किया जा सकता है। इस हेतु निम्नानुसार स्टाफ नर्स कलेक्टर दर पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

| क्र.                                                        | पदनाम      | पदसंख्या | वेतन प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह<br>(कलेक्टर दर) | 21 कर्मचारियों पर<br>प्रति व्यय |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                          | स्टाफ नर्स | 21       | 12,898/-                                    | 2,70,858/-                      |
| <b>अक्षरी:- दो लाख सत्तर हजार आठ सौ अन्ठावन रुपये मात्र</b> |            |          |                                             |                                 |

- उपरोक्तानुसार जब तक सीधी भर्ती नहीं हो जाती तब तक मस्टररोल आधार पर 21 स्टाफ नर्स दैनिक मजदूरी पर रखे तथा इनके दैनिक मजदूरी का भुगतान अन्य आकस्मिक मद/मजदूरी मद (नियमित बजट) से किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा नियमित बजट में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने पर ही स्वशासी मद से भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया तथा इन दैनिक मजदूरों को मस्टररोल आधार पर कार्य लिये जाने से EPF/ESIC की राशि की पात्रता नहीं होगी।

(कार्यवाही, अधिष्ठाता कार्यालय/

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय स्तर से)

**एजेण्डा-04 :- संविदा में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों के मकान किराया एवं पी0जी0 छात्र-छात्राओं के छात्रावास शुल्क पुर्ननिर्धारण के संबंध में चर्चा।**

- अधिष्ठाता, शाचिम, रायगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि संविदा में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों को चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में स्थित शासकीय मकान में आवास सुविधा दी गई है। इनसे आवास शुल्क वर्ष 2016 में किये गये निर्धारण अनुसार लिया जा रहा है तथा इसी प्रकार पीजी0 छात्र-छात्राओं के छात्रावास शुल्क जो वर्ष 2019 में निर्धारित किया गया है के अनुसार लिया जा रहा है। उक्त आवास शुल्क एवं छात्रावास शुल्क में वृद्धि कर निम्नानुसार पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

| क्र. | आवास का प्रकार           | पदनाम                                                               | प्रस्तावित मासिक<br>किराया निर्धारण |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01   | टाईप -3 (3BHK)           | प्राध्यापक                                                          | 7300/-                              |
| 02   | टाईप -4 (2BHK) Block-A&B | सह प्राध्यापक                                                       | 6200/-                              |
|      |                          | सहायक प्राध्यापक                                                    | 3500/-                              |
| 03   | हाउसिंग बोर्ड कालोनी     | सह प्राध्यापक                                                       | 6200/-                              |
|      |                          | सहायक प्राध्यापक                                                    | 3500/-                              |
|      |                          | सीनियर रेसिडेंट                                                     | 3300/-                              |
|      |                          | जूनियर रेसिडेंट                                                     | 2800/-                              |
|      |                          | प्रदर्शक                                                            | 2800/-                              |
| 03   | टाईप-5 (1BHK) Block-A&B  | सीनियर रेसिडेंट                                                     | 3300/-                              |
|      |                          | जूनियर रेसिडेंट                                                     | 2800/-                              |
|      |                          | प्रदर्शक                                                            | 2800/-                              |
| 04   | हॉस्टल                   | प्रति जे.आर. एवं प्रति पी.जी.,<br>(पी.जी. एवं यू.जी. बाण्डेड छात्र) | 1500/-                              |

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान किया गया।

(कार्यवाही, अधिष्ठाता कार्यालय कार्यालय स्तर से)

निरंतर.....6 /

- आवास शुल्क के अतिरिक्त, भवनों के मेंटनेंस शुल्क निर्धारण भी प्रस्तावित किया गया। जिसके अनुसार अतिथि गृह एवं केन्टीन मेंटनेंस शुल्क को मान्य किया गया एवं आडिटोरियम भवन हेतु निर्धारित रु. 50,000/- शुल्क को अमान्य कर निम्नानुसार निर्धारित कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया :-

|    |                        |                                                                          |          |                                        |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 01 | अतिथि गृह              | प्रति दिवस                                                               | 750/-    |                                        |
| 02 | केन्टीन मेंटनेंस शुल्क | महाविद्यालय भवन                                                          | 10,000/- | विद्युत शुल्क                          |
| 03 | केन्टीन मेंटनेंस शुल्क | जे.आर. एवं यू.जी. बालक/बालिका छात्रावास                                  | 5,000/-  | विद्युत मीटर के रीडिंग अनुसार प्रतिमाह |
| 04 | आडिटोरियम भवन          | महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय के विभाग द्वारा कार्यक्रम किये जाने पर | निःशुल्क |                                        |
|    |                        | अन्य शासकीय संस्थान द्वारा कार्यक्रम किये जाने पर प्रति दिवस शुल्क       | 10,000/- |                                        |
|    |                        | निजी संस्थानों द्वारा कार्यक्रम किये जाने पर प्रति दिवस शुल्क            | 20,000/- |                                        |

(कार्यवाही, अधिष्ठाता कार्यालय कार्यालय स्तर से)

**एजेण्डा-05 :- Honorary Basis पर सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में चर्चा।**

- अधिष्ठाता, शाचिम, रायगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रसिद्ध निजी चिकित्सालयों में कार्यरत सुपर स्पेशलिस्ट डिग्रीधारी कुछ चिकित्सक, चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास. चिकित्सालय, रायगढ़ के ओपीडी में माह/सप्ताह में एक दिन Honorary Basis पर अस्थाई रूप से सेवा दिये जाने हेतु इच्छा व्यक्त किये हैं। उक्त चिकित्सकों के ओपीडी/आईपीडी में सेवा दिये जाने से मरीजों को विशेष सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा साथ ही इस महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों को भी विशेष सेवाओं का अनुभव प्राप्त हो सकेगा। तदनुसार Honorary Basis पर कार्य लिये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान किया गया।

(कार्यवाही, अधिष्ठाता कार्यालय कार्यालय स्तर पर)

*f* *Wm*

निरंतर.....7 /



**एजेण्डा-06 :- संविदा में नियुक्त होने वाले सुपरस्पेशलिस्ट (DM/M.Ch.) / समकक्ष चिकित्सकों के एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारण के संबंध में चर्चा।**

- अधिष्ठाता, शाचिम, रायगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा महाविद्यालयों में नियमित सेवा में कार्यरत ऐसे चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ सुपरस्पेशलिस्ट (DM/M.Ch.) / समकक्ष डिग्रीधारी हैं, के लिये छ0ग0 शासन द्वारा 02 अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने का निर्देश जारी किया गया है जिससे सुपरस्पेशलिस्ट डिग्रीधारी चिकित्सक शासकीय सेवा हेतु आकर्षित हो सकें। किन्तु संविदा सेवा में सुपरस्पेशलिस्ट डिग्रीधारी चिकित्सकों हेतु पृथक से कोई प्रावधान नहीं है जिससे सुपरस्पेशलिस्ट (DM/M.Ch.) / समकक्ष डिग्रीधारी चिकित्सक संविदा में कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं होते हैं।

अतएव चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ में सुपरस्पेशलिस्ट चिकित्सकों को आकर्षित करने हेतु डी. के.एस. सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर / सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय, बिलासपुर में देय एकमुश्त संविदा वेतन के अनुरूप, संविदा वेतन निर्धारित किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:-

| क्र. | पदनाम            | वर्तमान में देय एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह | सुपरस्पेशलिस्ट डिग्रीधारी चिकित्सकों हेतु प्रस्तावित एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह |
|------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | प्राध्यापक       | 1,90,000/- (90,000+90,000)                   | 3,00,000/- (90,000+2,10,000)                                                      |
| 2    | सह प्राध्यापक    | 1,55,000/- (80,000+75,000)                   | 2,50,000/- (80,000+1,70,000)                                                      |
| 3    | सहायक प्राध्यापक | 1,00,000/- (50,000+50,000)                   | 1,50,000/- (50,000+1,00,000)                                                      |
| 4    | सीनियर रेसीडेंट  | 75,000/- (40,000+35,000)                     | 1,25,000/- (40,000+85,000)                                                        |

उक्तानुसार निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन में से शासन द्वारा निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त देय- Top-up की राशि का भुगतान, शासन द्वारा देय "स्थापना अनुदान मद" से किये जाने की जानकारी दिया गया।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सहमति प्रदान किया गया एवं उक्त निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन का शासन से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही, अधिष्ठाता कार्यालय कार्यालय स्तर पर)

**एजेण्डा-07 :- अस्थिरोग विभाग हेतु इंप्लांट क्रय के संबंध में चर्चा।**

- अधिष्ठाता शा.चि.म., रायगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शास0 चिकित्सालय, रायगढ़ के अस्थिरोग विभाग में High Risk & Critical Packages इंप्लांट / कन्जुमेबल सामग्री, मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष मद से क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

उक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, छ0ग0 के पत्र क्र./एस.एन.ए. /40/2024 /CMPHTF/154/1756 नवा रायपुर दिनांक 03/01/2025 द्वारा इंप्लांट क्रय हेतु रु. 129.96 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसका भुगतान नियमित बजट अथवा स्वशासी समिति में राशि उपलब्ध नहीं होने पर ही मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष से किये जाने का लेख किया गया है। वर्तमान में चिकित्सालय के नियमित बजट (कन्जुमेबल) में पर्याप्त राशि उपलब्ध है, अतएव उक्त प्रस्तावित इंप्लांट के क्रय का भुगतान नियमित बजट से किये जाने की जानकारी दिया गया तथा अतिआवश्यक होने पर ही स्वशासी मद से क्रय किया जा सकेगा। क्रय हेतु प्रस्तावित इंप्लांट की जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्र. | विवरण विभागवार                           | राशि      |
|------|------------------------------------------|-----------|
| 1    | Orthopedica High Risk & Critical Implant | 85.00 लाख |
| 2    | Orthopedic General Trauma Implant        | 25.00 लाख |
| 3    | ENT Implant                              | 16.81 लाख |
| 4    | Pediatric Surgery Implant                | 3.15 लाख  |
|      |                                          | 129.96    |

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर नियमित बजट से इंप्लांट क्रय की सहमति प्रदान किया गया।

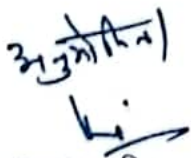
(कार्यवाही, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय स्तर पर)

निरंतर.....8 /

एजेण्डा-08 :- अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा।

1. **फायर फायटिंग सिस्टम के संबंध में चर्चा :-** चिकित्सा महाविद्यालय भवन एवं संबद्ध चिकित्सालय भवन में लोक निर्माण विभाग द्वारा फायर फायटिंग सिस्टम लगाया गया है जो अपूर्ण है तथा आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इस संबंध में संभागायुक्त महोदय द्वारा कलेक्टर, रायगढ़ के मार्गदर्शन में फायर फायटिंग सिस्टम को प्रारंभ किये जाने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया।
2. **आऊटसोर्स के माध्यम से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाने के संबंध में चर्चा :-** माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय हेतु आवश्यक ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद जो वर्तमान में सृजित नहीं है, को आऊटसोर्स के माध्यम से रखा जाना है। उक्त आऊटसोर्स के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों-10-विशेष सेवायें हेतु व्यय-009 मद से किया जावेगा। तदनुसार अतिआवश्यक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आऊटसोर्स की प्रक्रिया किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान किया गया।
3. **चिकित्सा महाविद्यालय हेतु अतिरिक्त आवश्यक भूमि के संबंध में चर्चा :-** चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय हेतु आबंटित भूमि के अलावा, अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता से अवगत कराया गया। इस संबंध में कलेक्टर, जिला रायगढ़ से चर्चा कर कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्तानुसार उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग एवं  
अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति (स्वशासी समिति)  
शा. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ0ग0)

  
सचिव,  
छ0ग0 आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति  
क्षेत्र अधिकृता स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति  
शा. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़(छ0ग0)



क्रमांक/शा.चि.म./स्था./2025/ 647 - 665

रायगढ़, दिनांक 12/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति, शाचिम, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7. प्रबंध संचालक, सीजीएमएससी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर, जिला-रायगढ़(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
9. संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक, स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा0चि0म0 संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शा. चिकित्सालय, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, इन्द्रावती भवन ब्लॉक-1, तृतीय तल नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
12. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
13. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि./या.) बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
14. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (वि./या.) रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
15. कार्यपालन अभियंता, सी.जी.एम.एस.सी. बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
16. सिविल सर्जन सह चिकित्सालय अधीक्षक, किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
17. प्रशासकीय अधिकारी, शाचिम, रायगढ़ की ओर, संबंधित शाखाओं से शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ।
18. प्रभारी अधिकारी समस्त शाखा, स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
19. कार्यालय नस्ती।

Vam  
सचिव

छ0ग0 आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति  
& एवं अधिष्ठाता स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति  
शा. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़(छ0ग0)